भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3621
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता

3621. **श्री राजकुमार रोतः**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में बचत, बैंकिंग, निवेश, बीमा, कराधान प्रणाली, डिजिटल भुगतान, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और ऋण जैसे विषयों को शामिल करने के संबंध में वर्तमान नियम, दिशानिर्देश और नीतियां क्या हैं और वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कितने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं या योजनाएं चलाई जा रही हैं;
(ख) क्या व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण छात्रों को आर्थिक निर्णय लेने, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल लेन-देन और धन प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे वे वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर नागरिक नहीं बन पा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार कक्षा 6 से 10 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता/वाणिज्य को एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने के लिए नीति या कार्य योजना लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने युवा शिक्षार्थियों के बीच बहु-कौशल निर्माण और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए इक्कीसवीं सदी के कौशल को महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में मान्यता दी है, जिसमें वित्तीय साक्षरता को स्कूल शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। एनईपी-2020 के अनुवर्ती के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 विकसित की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, कक्षा 6-10

में सामाजिक विज्ञान में वाणिज्य से संबंधित घटकों का एकीकरण प्रदान करती है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें शिक्षार्थियों के बीच वित्तीय साक्षरता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं। पाठ्यक्रम में वित्तीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का विकास, बैंकिंग प्रणाली, ऋण के रूप, मुद्रा और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे स्टॉक एक्सचेंज आदि जैसे विषय शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करता है।

समग्र शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्कूलों में कक्षा IX से XII तक के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय साक्षरता व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कवर किया गया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के तहत, इस विभाग द्वारा इस घटक के तहत 4 जॉब रोल्स को अनुमोदित किया जाता है जो इस प्रकार हैं:

i. माइक्रोफाइनेंस एग्जीक्यूटिव
ii. व्यवसाय संवाददाता/सूत्रधार
iii. एमआईएस डेटा विश्लेषक - वित्तीय सेवाएं
iv. ग्राहक सेवा सहयोगी - वित्तीय सेवाएँ

इसके अतिरिक्त, चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, इसलिए स्कूल पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित परियोजनाओं अथवा योजनाओं सहित किसी राज्य-विशिष्ट पहल को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
